

2/7/17

पत्रावली पेश हुई। विपरीत वकील उपर
चूंकि मूल वाद में निर्णय किया जा चुका
है। अब इस आवेदन में कागज की कल्पवृक्षी
का कोई औचित्य नहीं रहा। इसलिए
उक्त आवेदन में अग्रिम कार्यवही इसी
स्तर पर समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी
रखना कौशल दि 11.9.15 को निरस्त
किया जाता है। पत्रावली फंडल शुभान
होकर न्यायल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन